

वित्त मंत्रालय
मांग संख्या 32
प्रत्यक्ष कर

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2018-2019			बजट 2019-2020			संशोधित 2019-2020			बजट 2020-2021			
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	
कुल	7075.89	244.14	7320.03	7036.44	302.00	7338.44	7041.42	302.02	7343.44	7733.39	332.00	8065.39	
वसूलियां	-1.99	-12.21	-14.20	...	-2.00	-2.00	...	-2.00	-2.00	...	-2.00	-2.00	
प्राप्तियां	
निवल	7073.90	231.93	7305.83	7036.44	300.00	7336.44	7041.42	300.02	7341.44	7733.39	330.00	8063.39	
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:													
केंद्र का व्यय													
केन्द्र का स्थापना व्यय													
1. आय और व्यय पर करों का संग्रहण													
1.01	आय कर का संग्रहण	6899.04	...	6899.04	5945.79	...	5945.79	5950.00	...	5950.00	6534.72	...	6534.72
1.02	निगम कर का संग्रहण	914.74	...	914.74	915.38	...	915.38	1005.34	...	1005.34
1.03	वास्तविक वसूली	-1.99	...	-1.99
	निवल	6897.05	...	6897.05	6860.53	...	6860.53	6865.38	...	6865.38	7540.06	...	7540.06
2. संपत्ति, प्रतिभूतियां लेनदेन और अन्य करों का संग्रहण													
2.01	धन कर का संग्रहण	17.69	...	17.69	17.59	...	17.59	17.60	...	17.60	19.33	...	19.33
2.02	प्रतिभूतियां लेनदेन कर	35.37	...	35.37	35.18	...	35.18	35.21	...	35.21	38.67	...	38.67
2.03	अन्य करों का संग्रहण	123.79	...	123.79	123.14	...	123.14	123.23	...	123.23	135.33	...	135.33
2.04	तैयार निर्मित आवास की खरीद : कार्यालय भवन	...	120.98	120.98	...	199.45	199.45	...	190.77	190.77	...	223.84	223.84
2.05	तैयार निर्मित आवास की खरीद : आवासीय भवन	...	121.84	121.84	...	100.55	100.55	...	109.25	109.25	...	106.16	106.16
	जोड़- संपत्ति, प्रतिभूतियां लेनदेन और अन्य करों का संग्रहण	176.85	242.82	419.67	175.91	300.00	475.91	176.04	300.02	476.06	193.33	330.00	523.33
	जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	7073.90	242.82	7316.72	7036.44	300.00	7336.44	7041.42	300.02	7341.44	7733.39	330.00	8063.39
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय													
अन्य													
3. आयकर अधिनियम के अंतर्गत अचल संपत्ति का अधिग्रहण													
3.01	सकल व्यय	...	1.32	1.32	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00
3.02	घटाइए-विक्री प्राप्तियां	...	-12.21	-12.21	...	-2.00	-2.00	...	-2.00	-2.00	...	-2.00	-2.00
	निवल	...	-10.89	-10.89
कुल जोड़		7073.90	231.93	7305.83	7036.44	300.00	7336.44	7041.42	300.02	7341.44	7733.39	330.00	8063.39

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2018-2019			बजट 2019-2020			संशोधित 2019-2020			बजट 2020-2021		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
ख. विकास शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. आय और व्यय पर करों का संग्रहण	6897.05	...	6897.05	6860.53	...	6860.53	6865.38	...	6865.38	7540.06	...	7540.06
2. संपत्ति करों, प्रतिभूति संबंधी संव्यवहार करों तथा अन्य करों का संग्रहण	176.85	...	176.85	175.91	...	175.91	176.04	...	176.04	193.33	...	193.33
3. लोक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	...	120.67	120.67	...	199.45	199.45	...	190.77	190.77	...	223.84	223.84
4. विविध सामान्य सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	...	-10.58	-10.58
जोड़-सामान्य सेवाएं	7073.90	110.09	7183.99	7036.44	199.45	7235.89	7041.42	190.77	7232.19	7733.39	223.84	7957.23
सामाजिक सेवाएं												
5. आवास पर पूंजी परिव्यय	...	121.84	121.84	...	100.55	100.55	...	109.25	109.25	...	106.16	106.16
जोड़-सामाजिक सेवाएं	...	121.84	121.84	...	100.55	100.55	...	109.25	109.25	...	106.16	106.16
कुल जोड़	7073.90	231.93	7305.83	7036.44	300.00	7336.44	7041.42	300.02	7341.44	7733.39	330.00	8063.39

1.01. **आय कर का संग्रहण:** इसमें उस प्रत्यक्ष कर संगठन के लिए किया गया प्रावधान शामिल है जो कि केंद्र सरकार द्वारा व्यक्तिगत आय, एचयूएफ, फर्म, एओपी, न्यास और अन्य निर्धारिती, जिसमें कि कारपोरेट निर्धारिती नहीं आते हैं, की आय पर लगाए और वसूले गए सभी प्रकार के प्रत्यक्ष करों को देखता है।

1.02. **निगम कर का संग्रहण:** इसमें उस प्रत्यक्ष कर संगठन के लिए किया गया प्रावधान शामिल है जो कि केंद्र सरकार द्वारा कारपोरेट निर्धारिती की आय पर लगाए और वसूले गए सभी प्रत्यक्ष करों को देखता है।

2.01. **धन कर का संग्रहण:** इसमें उस प्रत्यक्ष कर संगठन के लिए किया गया प्रावधान शामिल है जो कि केंद्र सरकार द्वारा धन पर लगाए और वसूले गए सभी प्रत्यक्ष करों को देखता है।

2.02. **प्रतिभूतियां लेनबेन कर:** इसमें उस प्रत्यक्ष कर संगठन के लिए किया गया प्रावधान शामिल है जो कि केंद्र सरकार द्वारा प्रतिभूति पर लगाए और वसूले गए सभी प्रत्यक्ष करों को देखता है।

2.03. **अन्य करों का संग्रहण:** इसमें उस प्रत्यक्ष कर संगठन के लिए किया गया प्रावधान शामिल है जो कि केंद्र सरकार द्वारा उपर्युक्त करों से भिन्न अन्य करों पर लगाए और वसूले गए सभी प्रत्यक्ष करों को देखता है।

2.04. **तैयार निर्मित आवास की खरीद : कार्यालय भवन:** यह प्रावधान प्रत्यक्ष कर संगठन से संबंधित कार्यालय प्रयोजन के लिए बने-बनाए कार्यालय/ भवन की खरीद का/ भूमि की खरीद/ भवन के निर्माण से संबंधित है।

2.05. **तैयार निर्मित आवास की खरीद : आवासीय भवन:** यह प्रावधान प्रत्यक्ष कर संगठन से संबंधित आवासीय प्रयोजन के लिए बने-बनाए भवन/आवासीय भवन की खरीद का/ भूमि की खरीद/ भवन के निर्माण से संबंधित है।

3. **आयकर अधिनियम के अंतर्गत अचल संपत्ति का अधिग्रहण:** यह प्रावधान आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XXC परिकल्पित केंद्रीय सरकार द्वारा अचल संपत्ति की पूर्व खाली खरीद से संबंधित विक्री शुल्क एवं पहले से हासिल किया गया सुरक्षा शुल्क, संपत्ति की मरम्मत और रखरखाव के लिए है।